"खाता दुरूस्ती आवेदन–पत्र"

(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सेवा में,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

हमीरगढ़

विषय:– राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पीपली की जमाबन्दी संवत 2074 से 2081 के खाता संख्या 289 मे मुझ प्रार्थी की जाति रेगर की बजाय खटीक दर्ज करवाना है

अतः उक्त दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनाक 19/12/24

नारायणी
प्रार्थी

(..........)

महोदयजी,

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

निवेदन है कि ग्राम पीपली के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2081 के खाता संख्या 289 में प्रार्थी का नाम नारायणी देवी पत्नी बसन्तीलाल रेगर दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम नारायणी देवी पत्नी बसन्तीलाल जाति खटीक है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. 19/12/2024
I.R. मंगरोप

पटवारी
पटवार मण्डल पीपली
त.हमीरगढ़ जि.भीलवाड़ा

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्रइ प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का / पिता नाम दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी पीपली व भू.अ.नि. मंगरोप एवं प्रार्थी द्वारा सलंग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम पीपली की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2081 की खाता संख्या 289 में प्रार्थी का नाम नारायणी देवी पत्नी बसन्तीलाल जाति रेगर के बजाय नारायणी देवी पत्नी बसन्ती लाल जाति खटीक किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

पु.सं. 169/24

19/12/24

तहसीलदार / नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम पीपली जमाबन्दी संवत 2074 से 2081 खाता संख्या 289 में दर्ज प्रार्थी का नाम नारायणी देवी पत्नी बसन्ती लाल रेगर के स्थान पर नारायणी देवी पत्नी बसन्ती लाल जाति खटीक संशोधन के आदेश दिये जाते है।

प्रतिलिपि :- T.D.R. हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला–भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner